कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला–सीहोर मध्यप्रदेश

{Ph.No. : 07562 - 224141, E-mail: dexosehore@yahoo.com}

सीहोर, दिनांक /09/2020

––00निविदा विज्ञप्ति00––

सर्वसाधारण की जानकारी एवं ट्रेवलिंग एजेंसीज की विशेष जानकारी के लिए शासन आदेशानुसार एवं आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश मोतीमहल ग्वालियर के पत्र कमांक/9–लेखा/प्रा.वाहन/2019-20/180 ग्वालियर दिनांक 02.03.2020 अनुसार आबकारी विभाग, जिला सीहोर में वर्ष 2020–21 की शेष अवधि हेतु अपराध नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्य (आबकारी अपराधों की रोकथाम) के लिए 01 वाहन मासिक किराए (फिक्सड एवं बेरिएबल चार्ज के आधार पर देय) पर लेने हेतु यह सूचना जारी की जाती है।

वाहन किराए पर लगाए जाने हेतु निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिनांक 10.09.2020 अपरान्ह् 12:00 बजे तक जिला आबकारी कार्यालय जिला सीहोर से प्राप्त किए जाकर दिनांक 10.09.2020 को ही 14:00 बजे तक जिला आबकारी कार्यालय जिला सीहोर में जमा किए जा सकते है। जिन्हें दिनांक 10.09.2020 को ही 16:00 बजे से उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष इस हेतु गठित समिति के द्वारा खोले जावेगें। निविदादाता की अनुपस्थिति निविदा खोलने की प्रक्रिया को बाधित नहीं करेगी। निविदा फार्म की कीमत 500/–(पाचं सौ रूपए) मात्र होगी। यह राशि निविदादाता द्वारा मद 0039 स्टेट एक्साइज 800 अन्य प्राप्तियों के मद में सायबर कोषालय के माध्यम से चालान जमा कर निविदा फार्म प्राप्त की जा सकती है। वाहन का माडल वर्ष 2017 के पूर्व का न हो, वाहन का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। वाहन किराये से लगाये जाने के लिए नियमानुसार सर्विस टैक्स (सेवाकर दाता) पंजीकृत फर्म/संस्थाओं/व्यक्ति से निविदा आमंत्रित की जाती है। सेवाकर हेतु पंजीकरण न होने की दशा में संबंधित संस्था/फर्म/व्यक्ति द्वारा टैक्सी सेवाओं के दिये जाने संबंधी प्रचलित नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा मुख्यालय पर भ्रमण हेतु फिक्सड चार्ज तथा मुख्यालय से बाहर हेतु बेरियल चार्ज के आधार पर पृथक–पृथक आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता अन्य नियमों व शर्तों की जानकारी जिला आबकारी कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है।

जिला आबकारी अधिकारी
जिला–सीहोर (म.प्र.)